पत्र संख्या-स्था-5(ग)-पदोन्नति-वा0क0अ0-2020-21// 1373 //वाणिज्य कर

प्रेषक,

एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(स्थापना-अराज0 अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 26 अगस्त, 2020**

महोदय,

अवगत कराना है कि चयन वर्ष 2020-21 की वाणिज्य कर अधिकारी के विभागीय प्रोन्नत कोटे की रिक्तियों के सापेक्ष निकट भविष्य में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयन की कार्यवाही करायी जानी है, जिसमें दिनांक 01-07-2020 को वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1/ ग्रेड-2 के पद पर एक वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर लेने वाले संवर्ग में स्थायी कार्मिकों को पात्रता सूची में रखा जाना अपेक्षित है, जिसमें आशुलिपिक संवर्ग के कार्मिकों की दिनांक 01-12-2015 को जारी ज्येष्ठता सूची के अनुसार ज्येष्ठता क्रमांक 382 तक के स्थायी कार्मिकों को पात्रता सूची में रखा जा सकता है।

अतः वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर चयन वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित चयन हेतु उपरोक्त कार्मिकों में से जो कार्मिक आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत हैं, उनमें से यदि कोई कार्मिक वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु इच्छुक नहीं है, तो उनसे इस आशय का सहमति पत्र प्राप्त कर लें कि चयन वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित वाणिज्य कर अधिकारी के पद हेतु डी0पी0सी0 में वह पदोन्नति के इच्छुक नहीं है तथा यदि उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिकों की वाणिज्य कर अधिकरी के पद पर पदोन्नति कर दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में वह अपनी ज्येष्ठता के अनुसार पदोन्नति दिये जाने के हकदार नहीं होंगे, ताकि तद्नुसार उसे डी0पी0सी0 के समक्ष प्रस्तुत करके उन्हें चयन किये जाने अथवा उनके स्थान पर उनसे कनिष्ठ कार्मिक के चयन हेतु मामले में चयन समिति के माध्यम से निर्णय कराया जा सके।

यदि उपरोक्त सम्बन्ध में कोई कार्मिक अपना सहमति पत्र प्रस्तुत करता है तो कृपया उसे प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अन्दर मुख्यालय को भिजवाये जाने का कष्ट करें।

(सूर्यमणि लालचंद)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।